कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक–779 **मेदिनीनगर, दिनांकः– 12.12.2024**

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– **मगध रेलवे साईडिंग अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 1232 दिनांक 16.08.2024 एवं पत्रांक 1867 दिनांक 29.11.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि लातेहार वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन मगध रेलवे साइडिंग हेतु (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एंव जंगल झाड़ी 33.11 हे0) कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव संख्या– FP/JH/RAIL/47332/2020 परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित किया गया था। प्रस्ताव के संदर्भ में दिनांक 23.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण के पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1867 दिनांक 29.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव की 07 (सात) भौतिक प्रतियाँ इस कार्यालय में मन्तव्य के साथ समर्पित किया है। विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संदर्भ में वस्तुस्थिति निम्नवत हैः–

(1) अपयोजन हेतु प्रस्तावित कुल वनभूमि 121.29 हे0 में से 104.28 हे0 लातेहार वन प्रमण्डल के अन्तर्गत तथा शेष भाग 17.01 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित है। लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित 104.28 हे0 वनभूमि को वैधानिक स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र0स0	जिला का नाम	**वन प्रमण्डल का नाम**	**वन भूमि की वैधानिक स्थिति**			अच्छादित वन भूमि पर अवस्थित वन का वनस्पति का औसत घनत्व **0.4 है।**
			अधिसूचित वन भूमि (हे0 में)	जंगल झाड़ भूमि (हे0 में)	कुल रकबा	
1	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	71.17	33.11	104.28	

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधनोपरान्त विहित प्रपत्र Form A(part-I) में वांछित सूचनाएँ / अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियाँ इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

Su

(3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा पृच्छा का निराकरण करते हुए निर्धारित विहित प्रपत्र II में सभी सूचनाएँ/अभियुक्तियाँ प्रविष्ट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। साथ ही इसकी भौतिक प्रतियाँ इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा विषयक प्रस्ताव को स्थल निरीक्षणोपरान्त सशर्त अनुशंसित की गयी, जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र Part II में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसित प्रतिवेदन कंडिका में प्रविष्ट है।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वानुमति के बगैर वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के **31.68 हे0** अधिसूचित वनभूमि तथा **9.62** हे0 जंगल झाड़ी (Deemed Forest) में अधिनियम के उल्लंघन में कार्य किया गया है जिसका विस्तृत उल्लेख पार्ट–II की कंडिका 11 में तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन प्रमण्डल पदाधिकारी लातेहार वन प्रमण्डल के द्वारा किया गया है। उल्लंघन के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की विवरणी भी पार्ट–II में अंकित है।

(6) निर्धारित Part III में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य अंकित है तथा उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा एवं लगाई गयी शर्तो से सहमत है तथा कुछ अन्य शर्तें अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भी लगाई गयी है। जिसका उल्लेख पार्ट–III के Recommendation Section में प्रविष्ट की गयी है।

(7) अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विहित प्रपत्र Part-III में अंकित Recommendtion पर संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर (पत्रांक –1966 दिनांक–11.12.2024) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

(8) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संलग्न अभिलेखों की विवरणी निम्नवत है :–

(क) आवेदक श्री सदाला सत्यनारायण, Chief Manager (Mining) के पक्ष में महाप्रबंघक, मगध–संघमित्रा क्षेत्र के द्वारा Authorisation पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ख) टोपो शीट मानचित्र जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ग) DGPS सर्वे के आधार पर परियोजना स्थल का Geo-referenced map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(घ) राजस्व विभाग के मौजा मानचित्र, जिसमें परियोजना स्थल रेखांकित है, प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ड) विषयक वनभूमि के अपयोजन का औचित्य से संबंधित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(च) प्रस्ताव में लातेहार वन प्रमण्डल के अर्न्तगत आच्छादित होन वाले वनभूमि पर अवस्थित पेड़ो की संख्या 16211 है।

(छ) विषयक प्रस्ताव में 33.11 हे0 जंगल–झाड़ी भूमि सन्निहित है तथा भूमि राजस्व विभाग के नियत्रांधीन है, इसके संदर्भ में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के **पत्रांक 533 दिनांक 28.07.2021, पत्रांक 57 दिनांक 10.01.2023** शुद्धि पत्र **ज्ञापांक 681 दिनांक** 18.10. **2023, 713 दिनांक 01.11.2023 (शुद्धि पत्र 755 दिनांक 10.11.2023)** द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(ज) विषयक प्रस्तव में आच्छादित होने वाले वनभूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत और/या सामुदायिक दावा के संदर्भ में वचनवद्धता समर्पित की गयी है।

P F-16

(झ) विषयक परियोजना में आच्छादित होने वाला वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी या राष्टीय उद्यान का भाग नही है।

(ञ) विषयक परियोजना स्थल किसी संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा नही है।

(ट) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Compensatory Afforestation, Net Present Value, Additional Net Present Value, Wildlife Management Plan इत्यादि हेतु देय राशि जमा करने के संदर्भ में वचनबद्धता समर्पित की गयी है।

(ठ) विषयक परियोजना हेतु चिन्हित Compensatory Afforestation वन भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्रमांक	जिला	वन प्रमण्डल का नाम	राजस्व थाना / थाना सख्या	मैजा (PF/RF) का नाम	रकबा (हे0 में)
1	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल	बालुमाथ / 135	सुकरी	74.21
2			बालुमाथ / 139	ललगड़ी	66.88
3			बालुमाथ / 100	बालु	67.47
				कुल–	208.56

उपरोक्त Compensatory Afforestation Land के लिए land Suitability Certificate,Estimated Cost of Compensatary Afforestation इत्यादि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः विषयक परियोजना में लातेहार वन प्रमण्डल के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की 5 (पाँच) भौतिक प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित की जा रही है।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन

Skumar 12/12/2024

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

12/12/24

Recommendation Note by the Conservator of Forests
Territorial Circle, Medininagar
Proposal No: FP/JH/RAIL/47332/2020

Based on the information provided in Part-I by the user agency, coupled with the observations from the inspection and recommendation notes of the Divisional Forest Officer, Latehar Forest Division, and considering the operational significance of the Magadh OCP Mega Coal Project of CCL, the following recommendation for the diversion of 104.28 hectares of forest land under the jurisdiction of Latehar Forest Division is proposed. This recommendation is conditional and subject to the implementation of specific mitigation and compensation measures, alongside the payment of net present value (NPV) and compensatory afforestation for the diverted forest land.

Conditions

1 Environmental Impact and Mitigation

The construction of the Magadh Railway Siding poses a substantial threat to the adjacent hills and forests, particularly to the originating streams. These operations are likely to compromise water resources, exacerbating the risk of future water crises and disrupting the fragile ecosystem. To address these risks, the user agency must develop and implement a Comprehensive Catchment Area Treatment (CAT) Plan to mitigate the adverse environmental impacts.

2. **Wildlife Conservation and Management**

The proposed area serves as a significant habitat for various wildlife species and coms under the proposed migratory route of wild elephants. Fragmentation and habitat loss due to the project could escalate human-wildlife conflicts. Therefore, a specialized study must be undertaken to assess wildlife vulnerability within a 10-kilometer radius of the project area. Based on the findings, a Comprehensive Wildlife Management Plan should be developed and executed at the expense of the project to safeguard the region's biodiversity.

3. **Biodiversity and Ethno botanical Study**

To document and conserve rare, endangered, and unique flora and fauna species, the user agency must commission a biodiversity and ethno botanical study by a reputable agency such as the Botanical Survey of India or the Zoological Survey of India. Following the study, species-specific conservation plans must be prepared and implemented where necessary.

4. **Violation of Statutory Provisions**

The user agency has already conducted operations on 31.68 hectares of notified forest land and approximately 9.62 hectares of GMJJ (deemed forest land) in violation of existing legal provisions. As per the Forest Conservation Act, 1980 [Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980] and the Forest Conservation Rules, 2023 [Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules 2023] appropriate penalties must be imposed for these violations.

5. **Corporate Social Responsibility (CSR) Allocation**

The user agency must allocate 50% of the total CSR funds specific to this project towards the development and conservation of wildlife habitats. The utilization of these funds shall be supervised by the State Forest Department, represented by the concerned Divisional Forest Officer (DFO).

S Kumar 12/12/2024

Shashi Kumar (I.F.S)
Conservator of Forests,
Territorial Circle, Medininagar

Conservator of Forests
Territorial Circle, Medininagar

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

Proposal No.- FP/JH/RAIL/47332/2020

Sl No	Project Details	Particulars
1	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Yes. Date of inspection :- 23.09.2024 Inspection note enclosed.
2	Whether the concerned Conservator of Forests agrees with the information given in Part-II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.	Concur with the comments made by the concerned Divisional Forest Officer in the recommendation note. Some other conditions have also been recommended which are mentioned in the recommendation note of the undersigned.
3	Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	The recommendation note is enclosed.
	Signature Name Official Seal Date:- 12.12.2024 Place:- Medininagar	S. Kumar Shashi Kumar Conservator of Forests Territorial Circle, Medininagar

COMMENTS OF CONSERVATOR OF FORESTS TERRITORIAL CIRCLE, MEDININAGAR-CUM-DEPUTY CHIEF WILDLIFE WARDEN, MEDININAGAR

Proposal No. FP/JH/RAIL/47332/2020

The proposed diversion site for Magadh Railway Siding is not located within any Protected Area as per the Wildlife Protection Act, 1972 nor it is a part of any Tiger Reserves or Eco-sensitive Zone of any national park/wildlife sanctuary.

Proposed area for diversion is an important habitat of wildlife and comes under the proposed migratory route of the wild elephant . It is habitat of species such as Hyena, wild cat, Jackal, Wild boar,Common Langur, Barking Deer, Snake, Newla, etc.

Specialized study to assess wildlife and its habitat vulnerability to be undertaken and based on study´s findings comprehensive wildlife management plan shall be proposed and implemented at the project´s expense to ensure the protection of the area´s biodiversity, wildlife and their habitats.

Skumar
12/12/2024

Conservator of Forests-cum-Dy-CWLW
Territorial Circle, Medininagar.
Conservator of Forests
Territorial Circle, Medininagar